

५०
३४


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 1692]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 6, 2016/आषाढ 15, 1938

No. 1692]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 6, 2016/ASADHA 15, 1938

गृह मंत्रालय

अभिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2016

का.आ. 2325(अ).—संविधान के अनुच्छेद 239 के उपखंड (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत में, राष्ट्रपति एतद्वारा निर्देश देते हैं कि दमन एवं दीव, चण्डी नगर हवेली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह सब राज्य क्षेत्रों के संबंध में उनके प्रशासकों द्वारा उनके अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में, राष्ट्रपति के निर्देशन के अधीन अगले आदेशों तक, सड़क विकलांगों (जीविका का संरक्षण और स्थिर बौद्धिक का विनिर्माण), आर्किटेक्चर, 2014 (2014 का 7) के अधीन उपयुक्त सरकार की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग और निर्वहन किया जाएगा।

[का. सं. यू-11011/02/2015-पू.एल.]

हितेश कुमार माकवान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2016

S.O. 2325(B).—In pursuance of the powers conferred under clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the powers and functions of the Appropriate Government under the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (7 of 2014) shall, subject to the control of the President and until further orders, be exercised and discharged, in relation to the Union territories of Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli, Chandigarh, Lakshadweep and Andaman and Nicobar Islands, by the Administrators thereof, within their respective Union territories.

[F. No. U-11011/2/2015-UTL]

HITESH KUMAR MAKWANA, Jr. Secy.

3407 01/2016